कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

(ए–223 / रासूआ / 53 / ग्वालियर / 2006)

श्री बलवन्त सिंह हैहयवंशी अपीलकर्ता

परियोजना अधिकारी,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

मुरैना

विरूद्ध

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग

मुरैना **लोक सूचना अधिकारी,**

आदेश

(दिनांक 30.05.06)

यह अपील श्री बलवंत सिंह, ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत की है। अपीलकर्ता ने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी को भी एक आवेदन दिनांक 30.12.05 को कतिपय बिन्दुओं में सूचना प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया था। लोक सूचना अधिकारी ने इस आवेदन पत्र पर दिनांक 06.01.06 को आदेश पारित करके अपीलकर्ता के आवेदन को निरस्त कर दिया था। इस आदेश में अपीलकर्ता को जानकारी नहीं देने का कारण यह बताया है कि अपीलकर्ता को राज्य शासन ने निलंबित किया है एवं निलंबन करने के पूर्व प्रारंभिक जांच में अपीलकर्ता को दोषी पाया गया है। राज्य शासन ने अपीलकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ई) एवं (एच) के अंतर्गत आवेदित सूचना का प्रकटीकरण उचित प्रतीत नही होता है। इसलिये अपीलकर्ता के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

2. इस आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील कलेक्टर, मुरैना, के समक्ष प्रस्तुत की थी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है । कलेक्टर, मुरैना ने अपने आदेश दिनांक 08.02.06 के द्वारा अपील स्वीकार की है उन्होंने यह उल्लेख किया है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लेखित तथ्य व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन के अनुसार प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने किसी गोपनीय अभिलेख की मांग नहीं की है । उन्होंने लोक सूचना अधिकारी के आदेश दिनांक 06.01.2006 को निरस्त कर अपीलकर्ता से धारा 7 के अंतर्गत फीस जमा किये जाने पर अभिलेखों की नकल प्रदान करने का आदेश पारित किया है।

3. इस आदेश के पारित होने के उपरांत अपीलकर्ता ने एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनकी अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और उन्हे शुल्क जमा करके वांछित दस्तावेज़ों की प्रति दिये जाने का आदेश पारित किया है । अतः वह इन दस्तावेज़ों की प्रति प्राप्त करने के लिये 500 / – रूपये अग्रिम के रूप में जमा करने आये है लेकिन, किसी जिम्मेदार

अधिकारी के न होने के कारण वे राशि जमा नहीं कर सके है। लेखापाल ने भी यह राशि जमा करने से इंकार कर दिया है उन्होंने लोक सूचना अधिकारी से यह जानकारी चाही कि उन्हे कितनी राशि जमा करनी है जिससे उनके द्वारा मांगी गयी सूचना की सत्य प्रति मिल सके । यह आवेदन पत्र जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 20.02.2006 को प्राप्त हुआ । इस आवेदन पत्र के उत्तर में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने अपीलकर्ता को दिनांक 08.03.06 के पत्र से सूचित किया कि उनके द्वारा मांगी गई छाया प्रतियां बहुत अधिक है और वर्तमान में कार्यालयीन कार्य,विधान सभा, अन्तराष्ट्रीय महिला मासिक जानकारी एवं राज्य स्तरीय बैठक की जानकारी भोपाल भेजी जाना है, और वह तैयार की जा रही है इसलिये अपीलकर्ता द्वारा चाही गई जानकारियों की प्रतियों की गणना करना आज संभव नहीं हो पा रहा है अतः अपीलकर्ता दिनांक 14.03.06 को कार्यालय में राशि जमा करने के लिये आ जाये तब उसे बताया जायेगा कि उन्हें कितनी राशि जमा करनी है । लोक सूचना अधिकारी के निर्देशानुसार अपीलकर्ता दिनांक 14.03.06 को उपस्थित हुए और उन्होने 1200/— रूपये की राशि जमा की । जिसकी रसीद अपीलकर्ता ने अपने अपील ज्ञापन के साथ लगाई है। इस राशि के जमा होने के बाद लोक सूचना अधिकारी ने एक पत्र भी अपीलकर्ता को भेजा है जिसमें यह उल्लेख किया है कि जानकारी की छाया प्रतियां कराने में समय लग सकता है उन्हें यह जानकारी दिनांक 13.04.2006 को प्रदाय कर दी जायेगी। लोक सूचना अधिकारी सूचना ने सूचना देने के लिये जो तिथि निर्धारित की थी उक्त दिनांक तक भी मांगी गयी सूचना की प्रमाणित प्रति अपीलकर्ता को नहीं दी गई है। यही नहीं बल्कि अपील की सुनवाई के दिन तक मांगी गयी सूचना अपीलकर्ता को नहीं दी गयी थी।

4. इस राशि के जमा करने के उपरांत भी अपीलकर्ता को कोई प्रमाणित प्रति प्रदान नहीं की जाने की स्थिति से त्रस्त होकर अपीलकर्ता ने दिनांक 24.04.06 को एक द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है। इस अपील को देखने से स्पष्ट होता है कि इस अपील में कोई भी बिन्दु निर्णय के लिये नहीं है । वास्तविक रूप से प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं कलेक्टर, मुरैना द्वारा जो आदेश पारित किया था उसको कियान्वित कराया जाना है । प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट हो गया है कि लोक सूचना अधिकारी व जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने प्रथम अपील अधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए उसका पालन करने में कोई रूचि नहीं ली है। प्रथम अपील में आदेश 08.02.06 को पारित किया गया था। लेकिन राज्य सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत करने के दिनांक तक लोक सूचना अधिकारी ने उसके कियान्वयन करने की कोई कार्यवाही नहीं की, यद्यपि अपीलकर्ता ने अपने पत्र द्वारा मांगी गयी राशि को जमा करने की सूचना दी थी व लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस आदेश को कियान्वित किया जाना था । इस स्थिति को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को एक कारण दिखाओ सूचना पत्र दिया गया कि क्यों न उनपर अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की जाये । इस कारण दिखाओं सूचना पत्र के उत्तर में लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वह अपना उत्तर दिनांक 25.05.06 तक प्रस्तुत कर सकती हैं और यदि अपने पक्ष में कुछ कहना चाहती हैं तो स्वयं उपस्थित हो सकती हैं।

5. लोक सूचना अधिकारी श्रीमती सजन अलूना, दिनांक 25.05.06 को उपस्थित हुई और अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया । उनका यह कहना था कि कलेक्टर ने दिनांक 08.02.2006 के आदेश पारित करने के पूर्व उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया

था । उनका यह भी कहना था कि अपीलकर्ता निलंबित परियोजना अधिकारी हैं और उनको मांगी गई जानकारी प्रदान की गई तो उसका अपीलकर्ता के विरूद्ध संस्थापित विभागीय जांच में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । लोक सूचना अधिकारी ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपीलकर्ता को राशि जमा कराने के लिये दिनांक 14.03.06 को पत्र भेजा था और दिनांक 13.04.06 तक सूचना देने का उल्लेख किया था।

6. इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि श्रीमती सजन अलूना ने जानबूझ कर प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना की है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित 30 दिन में जानकारी अपीलकर्ता को नहीं प्रदान की है। इस प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 8(1)(ई)(एच) का उपयोग केवल अपीलकर्ता के द्वारा मांगी गई जानकारी न देने के लिये किया है। उल्लेखित है कि अधिनियम की धारा 8 (1)(ई) उन सभी सूचनाओं से संबंधित है जो लोकप्राधिकारी को वैश्वासिक/न्यासी सम्बन्धों में प्राप्त होती है और 8(1)(एच) की सूचना उन विषयों से संबंधित है जो किसी अपराधी के द्वारा किया गया अपराध की जांच, अपराधी के पकड़े जाने या अपराधी के अभियोजन से संबंधित हो । स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध केवल विभागीय जांच संस्थापित की गई है जिसमें उसको आरोप पत्र दिया जा चुका है इसका कोई संबंध जांच, गिरफ्तारी या अभियोजन से नहीं है । अपीलकर्ता ने इस प्रकरण में जो जानकारी मांगी है उसका विवरण उनकी अपील के साथ संलग्न ज्ञापन में किया है और यह जानकारी बजट एवं लेखा से संबंधित है जिसे किसी प्रकार से धारा 8(1)(ई) के प्रावधानों से बाधित नहीं माना जा सकता है। इसलिये प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं कलेक्टर ने इस जानकारी को देने के जो निर्देश लोक सूचना अधिकारी को प्रथम अपील में दिये थे उनका समय पर पालन किया जाना चाहिये था लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने इस प्रकरण की सुनवाई तक भी प्रथम अपील में दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया है ।

7. अपीलीय अधिकारी के आदेश पारित होने के बाद अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करके प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये जो शुल्क जमा करना था वह उसने जमा किया, लेकिन, उसपर कोई कार्यवाही लगभग 03 माह के समय तक नहीं हुई । लोक सूचना अधिकारी ने मेरे समक्ष स्वीकार किया है उन्हें प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 12.02.06 को प्राप्त हो गए थे । लोक सूचना अधिकारी ने अपनी व्यस्तता के संबंधित में जो कारण दर्शाये हैं वह स्वीकार योग्य नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारी का इस पूरे प्रकरण में रवैया एवं आचरण अपीलकर्ता को जानकारी नहीं देने का था। उन्होंने राशि जमा होने के बाद भी जो तिथि उनके द्वारा जानकारी देने के लिये निर्धारित की थी, उस दिन तक नहीं दी । जिससे पीड़ित होकर अपीलकर्ता को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल करना पड़ी । दिनांक 25.05.06 को लोक सूचना अधिकारी जब मेरे समक्ष उपस्थित हुई थी तब तक भी उन्होंने अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी की प्रमाणित प्रतियां अपीलकर्ता को नहीं दी थी।

8. इन सभी विवरणों से मैं संतुष्ट हूँ कि श्रीमती सजन अलूना, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझ कर प्रथम अपील में कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश होने के बाद भी कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकरण में श्रीमती सजन अलूना का आचरण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत दुर्भावनापूर्ण है । अतः मैं टी. एन.श्रीवास्तव, मुख्य सूचना आयुक्त, श्रीमती सजन अलूना, लोक सूचना अधिकारी को दोषी पाता हूँ। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के उपरांत यह जानकारी अपीलकर्ता को 30 दिन के अन्तर्गत प्राप्त

हो जाना चाहिए थी। लेकिन, श्रीमती सजन अलूना ने यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। अतः कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का जो आदेश है, लोक सूचना अधिकारी की स्वीकारोक्ति के अनुसार उन्हें 12.02.06 को प्राप्त हुआ था उस अवधि से दिनांक 25 मई 06 की अवधि तक 102 दिन की अवधि होती है इसमें से यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि को घटाया जाये तो 72 दिन का विलंब स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है । लेकिन अभी तक लोक सूचना अधिकारी ने यह जानकारी अपीलकर्ता को प्रदान नहीं की है । अतः लोक सूचना अधिकारी पर 18,000/- रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है । इसके साथ-साथ यह निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के 07 दिन के अन्दर लोक सूचना अधिकारी, अपीलकर्ता को उसके द्वारा मांगी गई सभी जानकारी की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराये और इसका प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग को भेजें । यदि इस समय सीमा के अन्तर्गत पालन प्रतिवेदन नहीं भेजेंगी तो उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 20(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

9. इस आदेश की प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं कलेक्टर, मुरैना को भेजकर निर्देशित किया जाये कि इस आदेश का पालन कराकर एक प्रति राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करें ।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
30 मई 2006